12. Coal Controller, Calcutta.

(c) and (d) Question doesn't arise.

Supply of coal to cement and sponge iron industry from the nearest coal pit

948. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to meet full requirements of the cement industry and sponge iron industry from the nearest coal pit to avoid national wastage of transportation;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the expected requirement of coal to meet the immediate requirement of coal of these industries and by what time their entire requirement is expected to be met?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (c) The allocation of coal to various cement plants and sponge iron plants is decided upon by Standing Linkage Committee comprising of representatives from concerned Ministries/Departments including Railways, Planning Commission and Coal Companies. While deciding the coal linkage, efforts are always made by the Committee to provide coal from a rational source taking into account factors like location of the plant, distance and mode of transportation from the mine and the development plan of the mine from which coal could be supplied.

In the current year (1991-92) coal requirement for the cement industry has been assessed as 12.70 mt. and that for sponge iron 0.90 mt. By the terminal year of Eighth Plan i.e. 1996-97, the coal requirement for the cement and sponge iron industries is expected to go upto 17.40 mt. and 3.10 mt. respectively. These industries require better grades of coal which are available only at few places like Korba, Central India, Wardha, Raniganj, South Karanpura and Godavari Valley Coalfields. While linked consumers from all Coalfields other than Godavari Valley Coalfields (Singareni Collieries Company Limited) are by and large receiving coal according to their requirement, there has been some shortfall in availability from Godavari Valley Coalfield. Efforts are being made to increase the production to meet the projected demand of these industries in the Eighth Plan.

कोयले की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनुसंधान

949. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला उपलब्ध न होने के कारण कोयला अधिकांश मात्रा में आयात किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विगत वर्षों के दौरान अच्छी किस्म के कोयले की खोज करने के लिये प्रयास नहीं किया गया है ; और कोई

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) से (ग) भारतीय कोयला संसाधन उच्च राख की मात्रा वाले तत्वों तथा निम्न गुणवत्ता के स्वरूप के हैं । अच्छे ग्रेड के कोयले के भण्डारों का अंश केवल लगभग 25% है और जोकि मुख्यतः बिहार बंगाल तथा सेंट्रल इण्डिया के कोयला क्षेत्रों में पाया जाता है जबकि अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं ने उपलब्ध देशीय ग्रेड के कोयले के लिये उपयुक्त कम्बूशन उपकरण का समायोजन करने

में समर्थ रहे हैं, किन्तु इस्पात संयंत्र कोक के उत्पादन के लिये कोकिंग कोयले में निम्न राख तत्व चाहते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस्पात संयंत्र उच्च राख के देशीय कोयले के साथ निम्न राख वाले आयातित कोयले को मिश्रित किये जाने के प्रयोजन से कोक-कर कोयले की अपनी कुल आवश्यकताओं का लगभग 25% आयात करते रहे हैं। इस्पात संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों के लिये उच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की गुणवत्ता में वृद्धि करने के संबंध में कुछ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों में संशोधन तथा आधुनिकीकरण।

2. इस्पात संयंत्रों के प्रयोग के लिये निम्न ग्रेड के मध्यम दर्जे के कोककर कोयले की धुलाई के लिये नई वाशरियों की स्थापना।

3. विद्युत तथा अन्य उद्योगों के लिये एक समान गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति किये जाने के लिये कोयला रख-रखाव संबंधी व्यवस्था किया जाना।

4. कोयला क्षेत्रों से 1000 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित कुछ विद्युत गृहों के लिये परिष्कृत कोयले की आपूर्ति किये जाने के लिये एकीकृत खान-एवं-कोयला परिष्करण परियोजनाओं की स्थापना करना।

कोयले का आयात

950. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना-कितना कोयला आयात किया गया और किन-किन देशों से तथा कितने मूल्य पर आयात किया गया ;

(ख) क्या सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोयले का आयात करती है अथवा वह राज्य व्यापार निगम या निजी पार्टियों के माध्यम से आयात किया जा रहा है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस०टी०सी० तथा निजी पार्टियों के माध्यम से कितने कोयले का आयात किया गया है ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान किन-किन निजी पार्टियों द्वारा कोयले का आयात किया गया और उन्हें कितनी राशि अदा की गयी ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वार, प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार आयात एवं निर्यात नीति, 1990–93 (खण्ड-i की शर्तों के अन्तर्गत धातुकर्मी कोयले का आयात) जिसमें राख का तत्व 12% से कम हो) भाग-I, सूची-8, परिशिष्ट-6 की इन्दराज संख्या 286 के अन्तर्गत आता है। अतः इसका आयात बिना वास्तविक उपभोक्ता की शर्तों के स्वीकार्य है। धातुकर्मी कोक का आयात, जिसमें राख का तत्व 10% से कम हो तथा 'कोयला/कोक", जिसका अन्य स्थान पर उल्लेख नहीं किया गया हो, वे सीमित स्वीकार्य सूची (परिशिष्ट-3-ए) की क्रमशः इन्दराज सं. 299-ए तथा 144-ए के अन्तर्गत आती है। अतः इन मदों का आयात लघु क्षेत्र में वास्तविक उपभोक्ताओं को या तो पूरक लाइसेंस जारी करके अथवा एक्सिम सक्रिपस के एवज में किया जा सकता है।

कोयला मंत्रालय किसी भी तरह के कोयले का आयात नहीं करता है। किन्तु कोयला/कोक/ब्रिकेट्स आदि का वर्ष 1988–89 से वर्ष 1990–91 के वर्षों के दौरान किये गये आयात को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र नीचे दिया गया है, जो कि आयात एवं निर्यात